18-10-19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल
[illegible] अभिभाषकगण उपस्थित नहीं।
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है।
पत्रावली दिनांक 15.11.19 को पेश हो।

14-11-19 वकील अपीलान्ट उपस्थित वकील अपीलान्ट को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अपीलान्ट अपील पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार की जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति व मूल नामान्तरण करण T.D.R हनुमानगढ़ को भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण
पीठासीन अधिकारी :–
अपील प्रकरण संख्या :–
1. ज्यानीदेवी पत्नी
तहसील टिब्बी
1. ग्राम पंचायत
अपील
1. श्री विनोद कु

अपीलान्ट द्वा
विरूद्ध अपील प्रस्तुत
विधि विरूद्ध एवम् प्र
। प्रमाणित प्रतिलि
अपील है।
संक्षेप में माम
देवाराम जाति मेघवा
खाता संख्या 86/8
ता 25 पत्थर नम्बर
107/193 मुरब्बा न
किला नम्बर 2 ता
पत्थर नम्बर 106/
नम्बर 0–0 मुरब्बा
62/35 किला नम्ब
नम्बर 0 मुरब्बा न
नहरी मय गैरमुमवि
1/3 हिस्सा यानि
अपीलांट के पति
उत्तराधिकारीगण
देवी, गोपाल, जग
वारिस में उसका
वारिस में उसका
त्याग जरिये दो
गया। अपीलांट
हल्का पटवारी क
करते हुए इन्तक
रैस्पोडेंट के समक्ष

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :- 003/2019

1. ज्यानीदेवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल हाल आबाद मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। -- अपीलान्ट

—:: बनाम ::—

1. ग्राम पंचायत धोलीपाल जरिये संरपच -- रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

—:: उपस्थित ::—

1. श्री विनोद कुमार पारिक अधिवक्ता अपीलान्ट

—:: निर्णय ::— दिनांक :- 14.11.2019

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 496 दिनांक 05.02.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेंट कतई गलत, विधि विरूद्ध एवम् प्राकृतिक न्याय के मलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। प्रमाणित प्रतिलिपि इन्तकाल संख्या 496 दिनांक 01.01.2019 चक 14 एम.एम.के. संलग्न अपील है।

संक्षेप में मामले से सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के पति हेतराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल के नाम चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 86/82 के पत्थर नम्बर 106/192 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 15 ता 18, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 107/192 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 11, 20, 21, पत्थर नम्बर 107/193 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 10, 11, 20, पत्थर नम्बर 106/193 मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 2 ता 9, 11 ता 24, पत्थर नम्बर 105/193 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 25, पत्थर नम्बर 106/194 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 1/.228, 2/.228, 3/.228, पत्थर नम्बर 0—0 मुरब्बा नम्बर 62/33 किला नम्बर 0/.075, पत्थर नम्बर 0—0 मुरब्बा नम्बर 62/35 किला नम्बर 0.025, पत्थर नम्बर 0 मुरब्बा नम्बर 62/40 किला नम्बर 0.75, पत्थर नम्बर 0 मुरब्बा नम्बर 62/41 किला नम्बर 0.025 कुल किता 44 तादादी 10.120 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाता सहित कृषि भूमि में से 5.060 हैक्टर में से 2/3 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा यानि 1.686 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज कागजात खातेदारी थी। अपीलांट के पति हेतराम की मृत्यु दिनांक को मुकाम धोलीपाल में हुई जिसके कुल छः उत्तराधिकारीगण थे जिनमें अपीलांट, अपीलांट की पुत्रीयां व पुत्रगण क्रमशः मदना देवी, गुड्डी देवी, गोपाल, जगदीश व शिशपाल थे। मदना देवी व शिशपाल फौतशुदा है। मदना देवी के वारिस में उसका पति मंगलाराम पुत्र नानूराम पुत्रगण राजेन्द्र व शेर सिंह हैं। शिशपाल के वारिस में उसका पुत्र वकील ही है। हेतराम के उत्तराधिकारीगण ने अपने हक व हिस्से का त्याग जरिये दो दस्तबरदारी दिनांक 24.08.2018 को अपीलांट के पक्ष में तर्क कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को पेश कर दिये। हल्का पटवारी ने समस्त तथ्यों का अवलोकन कर व जांच करते हुए इन्तकाल दिनांक 01.01.2019 को दर्ज कर दिया जिसको स्वीकृत करवाने हेतु रेस्पोडेंट के समक्ष को पेश किया जिसको रेस्पोडेंट ने कतई गलत व विधि विरूद्ध आधारों पर

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

आक्षेपित आदेश पारित कर इन्तकाल अस्वीकृत किया गया है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट निम्न आधारों पर यह अपील पेश करती है

(क) रेस्पोडेंट ने अपीलांट को अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। इस प्रकार रेस्पोडेंट का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने की स्थिति में विधि शुन्य है।

(ख) रेस्पोडेंट ने चक 14 एम.एम.के. की कृषि भूमि के सम्बंध में अपीलांट के नाम दर्ज हुए इन्तकाल संख्या 496 दिनांक 01.01.2019 को मौका पर कब्जा काश्त न होने व पूर्व में भूमि बेचान होने के आधार पर विधि विरूद्व रूप से निरस्त किया गया है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा इन्तकाल निरस्त करने से पूर्व मौका की सही एवं वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई।

(ग) प्रश्नगत भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में ही चली आ रही है व प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रश्नगत भूमि का पूर्व में किसी भी व्यक्ति विशेष को बेचान नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा गलत आधार पर इन्तकाल निरस्ती का आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती है।

(घ) प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में स्वर्गीय हेतराम के विधिक उत्तराधिकारीगण द्वारा अपीलांट के पक्ष में जरिये पंजिकृत दस्तावेज दस्तबरदारी के अपना हक अपीलांट के पक्ष में त्याग देने के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा समस्त तथ्यों की जांच पड़ताल कर ही अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल संख्या 496 दिनांक 01.01.2019 राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है। लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की कोई सुनवाई नहीं की व ना ही अपीलांट को इन्तकाल अस्वीकृत करने से पूर्व कोई सूचना या नोटिस ही प्रेषित किया गया बल्कि आनन फानन में बैठक बुलाकर एवं प्रस्ताव पारित कर विधि विरूद्ध रूप से बिना कोई ठोस जांच किये आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट ने इस सम्बंध में अपने विधिक उत्तरदायित्वों की घोर उपेक्षा की है व बिना समुचित व पर्याप्त कारणों के इन्तकाल को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया है जो कि निरस्तनीय है।

(ङ) अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। अपीलांट अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की औरत है। रेस्पोडेंट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत धोलीपाल दिनांक 05.02.2019 का ज्ञान पूर्व में अपीलांट को नहीं हो सका। माह मार्च 2019 में अपीलांट धोलीपाल में अपनी कृषि भूमि को संभालने आई तो अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा उसके नाम दर्ज इन्तकाल को निरस्त कर दिया है जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ। अपीलांट ने रेस्पोडेंट द्वारा निरस्त किये गये इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 11.03.2019 को पटवारी हल्का धोलीपाल से प्राप्त की व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत कर रही है जो इल्म से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। मियाद मुआफी हेतू पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत धोलीपाल के द्वारा पारित आदेश खारिज फरमाया जाकर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने के आदेश करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहसील कार्यालय से मूल नामान्तरकरण संख्या 496 तलब किया जाकर अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

लगातार 3

Scanned by CamScanner

दौरानें बहस अपीलान्ट के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपील को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट को अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। रेस्पोडेंट ने चक 14 एम.एम.के. की कृषि भूमि के सम्बंध में अपीलांट के नाम दर्ज हुए इन्तकाल संख्या 496 दिनांक 01.01.2019 को मौका पर कब्जा काश्त न होने व पूर्व में भूमि बेचान होने के आधार पर विधि विरूद्व रूप से निरस्त किया गया है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा इन्तकाल निरस्त करने से पूर्व मौका की सही एवं वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई जबकि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में ही चली आ रही है व प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है।

प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में स्वर्गीय हेतराम के विधिक उत्तराधिकारीगण द्वारा अपीलांट के पक्ष में जरिये पंजिकृत दस्तावेज दस्तबरदारी के अपना हक अपीलांट के पक्ष में त्याग देने के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा समस्त तथ्यों की जांच पड़ताल कर ही अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल संख्या 496 दिनांक 01.01.2019 राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है। लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की कोई सुनवाई नहीं की व ना ही अपीलांट को इन्तकाल अस्वीकृत करने से पूर्व कोई सूचना या नोटिस ही प्रेषित किया गया बल्कि आनन फानन में बैठक बुलाकर एवं प्रस्ताव पारित कर विधि विरूद्ध रूप से बिना कोई ठोस जांच किये आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट द्वारा जानबुझकर स्वर्गीय हेतराम के वारिसान को बिना सुने तथा बिना समुचित व पर्याप्त कारणों के इन्तकाल को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया है जो कि अपील अपीलान्ट सवीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किये गये नामान्तरण के आदेश को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया एंवम् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अवलोकन किये जानें पर पाया कि सरंपच ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा विरास्तन प्राप्त भूमि के सन्दर्भ में पंजीकृत दस्तावेज (दस्तबरदारी) के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को पक्षकारान को बिना सुने खारिज किया गया है, जो न्यायोचित नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाई जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: आदेश ::–

अतः ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा खारिज किये गये नामान्तरकण संख्या 496 दिनांक 05.02.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाता हैं कि स्वर्गीय हेतराम के विधिक उत्तराधिकारीगण की सुनवाई की जाकर तथा स्वर्गीय हेतराम द्वारा विवादित आराजी का पूर्व में यदि किसी प्रकार का कोई बेचान/हस्तान्तरण किया गया है, तो उसके सम्बंध में पूर्ण जांच की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाकर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करनें की कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ एंव ग्राम पंचायत धोलीपाल को पालनार्थ भिजवाते हुए तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त मुल नामान्तरकरण संख्या 496 भी वापिस लौटाया जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 10:58:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: